**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2917**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**बच्‍चों को वायु प्रदूषण से बचाना**

**2917. श्री देरेक ओब्राईन :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या मंत्रालय बच्‍चों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अत्‍यधिक प्रदूषण के कारण बंद किए गए विद्यालयों का बयौरा क्‍या है; और

(घ) वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (घ) सरकार ने बच्‍चों वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होने सहित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्रवाई की है। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार ने वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे बच्‍चों को बचाने के लिए आपातकाल कदम उठाने के रूप में 7 से 9 नवम्‍बर, 2016 तक नई दिल्‍ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा चलाए जा रहे स्‍कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख कार्रवार्इयों में अन्‍य बातों के साथ-साथ राष्‍ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्‍ता मानकों को अधिसूचित करना; पर्यावरणीय विनियम/संविधि का प्रतिपादन; परिवेशी वायु गुणवत्‍ता के मूल्‍यांकन हेतु मॉनीटरिंग नेटवर्क की स्‍थापना; गैसीय र्इंधन (सीएनजी, एलपीजी इत्‍यादि), ईथेनॉल ब्‍लेंडिंग जैसे स्‍वच्‍छतर/वैकल्पिक ईंधनों का प्रारंभ; स्‍वच्‍छतर उत्‍पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा; राष्‍ट्रीय वायु गुणवत्‍ता सूचकांक का प्रारंभ; वर्ष 2017 तक बीएस-IV का सार्वभौमिकरण; 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस-IV के स्‍थान पर बीएस-VI मानक लाभ; विभिन्‍न अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम के व्‍यापक संशोधन तथा निर्माण एवं विध्‍वंश अपशिष्‍ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना; पत्तियों, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्‍ट को जलाने पर रोक; सार्वजनिक परिवहन तथा मेट्रो के नेटवर्क, ई-रिक्‍शों को बढ़ावा, कार पूलिंग, प्रदूषण नियंत्रणाधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र, लेन अनुशासन, वाहन रख-रखाव को बढ़ावा; एनसीआर के भीतर दिल्‍ली एवं अन्‍य राज्‍य सरकारों के साथ अधिकारिक और मंत्रालीय स्‍तर पर नियमित सह-समन्‍वयन बैठकें कराना; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 18(1)(ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी करना; प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑनलाईन सतत (24X7) निगरानी उपकरणों की संस्‍थापना; दिल्‍ली में 2000 सीसी से अधिक डीजल वाहनों पर पर्यावरणीय संरक्षण शुल्‍क का एकत्रण; और 10 बजे (अपराह्न) से 6 बजे (पूर्वाह्न) के बीच तेज ध्‍वनि वाले पटाखों के फोड़ने पर रोक इत्‍यादि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*